

ईमेल/ E-mail : zone.spl.soi@gov.in
दूरभाष : 0135 - 2977976
Phone : 0135 - 2977975
: 0135 - 2977980
फैक्स/ Fax : 0135 - 2977970



अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र का कार्यालय
OFFICE OF ADDITIONAL SURVEYOR
GENERAL, SPECIALIZED ZONE
ब्लॉक 6, हाथीबड़कला एस्टेट
Block 6, Hathibarkala Estate
देहरादून-248001, (उत्तराखंड)
Dehra dun-248001, (Uttarakhand)

इस पत्र का उत्तर, विशिष्ट क्षेत्र के कार्यालय के पते से भेजना चाहिए, किसी अधिकारी के नाम से नहीं। उत्तर देते समय इस पत्र की सं. और दिनांक दी जानी चाहिए।
Any reply to this letter should be addressed to the SPECIALIZED ZONE, not to any officer by name, The No. & date of the letter should be quoted.

विशिष्ट क्षेत्र कार्यालय का नेमी आदेश सं० 15/37-जी-11 दिनांक 22.08.2023

1. नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना के अर्न्तगत हस्तान्तरण :-

इस कार्यालय के श्री प्रमोद कुमार (अब अधिकारी सर्वेक्षक) जिनकी नियुक्ति विभाग में ग्रुप 'सी' टी.टी. टी. ए के पद पर दिनांक 14.07.2006 से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना संख्या 05/7/2003-ई.सी.बी. एड. पी.आर. दिनांक 22.12.2003 के अर्न्तगत नेशनल पेंशन स्कीम के अर्न्तगत हुई थी। अब भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, (लोक शिकायत एवं पेंशन), पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 57/05/2021 P&PW (B) दिनांक 03.03.2023 के अनुसार श्री प्रमोद कुमार अधिकारी सर्वेक्षक द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 (अब 2021) में परिवर्तित होने के लिए दिनांक 11.04.2023 को दिए गए विकल्प का चयन करने पर केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (अब 2021) के अर्न्तगत उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि से नए विकल्प को अन्तिम रूप से (One Time Option) स्वीकार करते हुए पुरानी पेंशन योजना नियम 1972 (अब 2021) के अर्न्तगत परिवर्तित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पुरानी पेंशन योजना नियम 1972 के अर्न्तगत लाये जाने की तिथि	टिप्पणी
1.	श्री प्रमोद कुमार	टी.टी. टी. 'ए' (अब अधिकारी सर्वेक्षक)	14.07.2006	

प्राधिकार : इस केन्द्र के कार्यालय आदेश सं० 13/18-बी-5(एन.पी.एस) दिनांक 16.08.2023

- (i) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1965 के अर्न्तगत पुरानी पेंशन योजना के अनुसार सभी प्रकार के देय लाभ श्री प्रमोद कुमार, टी.टी.टी. 'ए' (अब अधिकारी सर्वेक्षक) को स्वीकार्य होंगे।
(ii) श्री प्रमोद कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक का सामान्य भविष्य निधि खाता खोले जाने एवं नेशनल पेंशन सिस्टम खाते के कारप्स (Corpus) के लेखा संबंधी सभी औपचारिकताएँ भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं० 57/05/ 2021 पी. एण्ड पी.डब्ल्यू (बी) दिनांक 03.03.2023 के पैरा 08 के अनुसार पूर्ण की जाएगी।

2. पद नाम में परिवर्तन :-

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश पत्र सं० एस०एम०/11/01/2022 दिनांक 31.07.2023 व भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून के विभागीय आदेश सं० डब्ल्यू- 246/709- स्ट्रेन्थ दिनांक 07.08.2023 से विभाग में विद्यमान पदों के नामों में परिवर्तन होने के कारण इस कार्यालय के निम्नलिखित कार्मिकों का उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार पद परिवर्तित किया जाना है:-

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद	पद परिवर्तन पर पद
1.	श्री अजय कुमार सिंह	सहायक	कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री अरविन्द कुमार अहेरवार	सहायक	कार्यालय अधीक्षक

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के विभागीय आदेश सं० डब्ल्यू- 246/709- स्ट्रेन्थ दिनांक 07.08.2023

Amil
(इनाम आमिल)
उप महासर्वेक्षक
विशिष्ट क्षेत्र

वितरण:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. निदेशक, राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वेबसाइट एडमिन।
4. फाइल संख्या 18-B-5(NPS) हेतु।